the Second Central Wage Board for Cement Industry; and

(b) when the final report of the Wage Board is likely to be submitted to Government?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Shahnawaz Khan): (a) The Wage Board has not yet submitted its final report. Interim recommendations of the Wage Board are reported to have been implemented fully.

(b) It is not possible at this stage to say precisely as to when the Wage Board will be able to submit its report. However, the Board is making efforts to complete the work as expeditiously as possible.

शौलमारी आश्रम

2154. **श्री शिवमूर्ति स्वामी :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री रामसेवक यादव :
श्री काशी राम गुप्त :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री युद्धवीर सिंह :
श्री बड़े :
श्री राजदेव सिंह :
श्री नाथ पाई :
श्री हेम बरुआ :
श्री उटिया :
श्री गौरी शंकर कक्कड़ :
श्री प्रिय गुप्त :
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शौलमारी आश्रम का साधु आजकल लापता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि शौलमारी आश्रम एक बड़े भारत-विरोधी जासूसी केन्द्र के रूप में काम कर रहा है;

(ग) क्या यह भी सच है कि दो वर्ष पूर्व गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री को उस आश्रम के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई थीं; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) जी नहीं। सूचना मिली है कि शौलमारी आश्रम का साधु आजकल उत्तर प्रदेश के जिला चमोली के थाना उखीमठ में स्थित गंगोत्री स्थान पर ठहरा हुआ है।

(ख) शौलमारी आश्रम के रहने वाले किसी भी व्यक्ति की कोई ऐसी गतिविधि ध्यान में नहीं आई जिससे उसके जासूसी के काम में लगे होने का पता चलता हो।

(ग) और (घ). गृह उप-मंत्री को भारतीय समाचार एजेंसी का 18-5-65 का समाचार प्राप्त हुआ था। अन्य बातों के साथ साथ इस सूचना में कहा गया था कि इस बात की सम्भावनायें थीं कि इस आश्रम में अवांछनीय तत्वों का जाल कार्य कर रहा हो और यह कि संदेहास्पद व्यक्तियों का इस आश्रम में अक्सर आना जाना था। नागपुर के 'हितवाद' ने इस सूचना को अपने 20 मई, 1965 के अंक में प्रकाशित किया था जिसके फलस्वरूप शौलमारी आश्रम के कुछ सदस्यों द्वारा इस समाचार पत्र के मुद्रक तथा सम्पादक के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के अधीन कलकत्ता के प्रेजीडेंसी मजिस्ट्रेट के 15वें न्यायालय में एक मामला दर्ज कराया गया है। मामला अभी न्यायाधीन है।

P. & T. Workers Union

2155. Dr. Melkote: Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the P. & T. Department would not grant